निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /   -71/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–प्रथम वाणिज्य कर, काशीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–प्रथम वाणिज्य कर, काशीपुर के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार, श्री सराज हुसैन सहायक लेखा परीक्षा अधकारियों द्वारा दिनांक 31.08.2017 से 11.09.2017 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री डी0के0 श्रीवास्तव, श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधकारियों द्वारा दिनांक.12.07.2016 से 22.07.2016 तक श्री श्री अमरनाथ साहू लेखापरीक्षा अधकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलक अधकार क्षेत्रः –कर निर्धारण,
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	9115.62
2015-16	4362.28
2016-17	7789.62

(ii)(c) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय `		अभ्य र्पत रा श
	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	
शून्य					

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय राजस्व संग्रह को सम्मि लत न करते हुए इकाई - श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव > आयुक्त कर, वा णज्य कर>ए डशनल क मश्नर>ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर> डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर> सहायक आयुक्त , राज्य कर> वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–प्रथम वाणिज्य कर, काशीपुर** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–प्रथम वाणिज्य कर, काशीपुर** लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: डी.डी.ओ कार्य नहीं कया जाता

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-1 आई0टी0सी0 का अनियमित लाभ अनुमन्य किये जाने से राजस्व क्षति `6.51 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची–3 में वर्णित वस्तुओ को छोडकर अन्य वस्तुओं की पंजीकृत व्यौहारी से क्रय किये जाने पर आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)- प्रथम वा0क0 काशीपुर के अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि:

(1) व्यौहारी सर्वश्री अग्रवाल बिल्डिंग मेटेरियल स्टोर काशीपुर (टिन नं–05002476047) का कर निर्धारण वर्ष 2014–15 (स्वतः) के वाद में व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में सीमेंट की खरीद `3,86,79,115/ प्रद र्शत करते हुए `52,21,680/ के आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध क्रय सूची के अनुसार संगत वर्ष में सीमेंट की शुद्ध खरीद केवल `3,66,93,202/ की थी। जिस पर 13.5 प्रतिशत की दर से `49,53,582/ का आई0टी0सी0 अनुमन्य था। इस प्रकार व्यौहारी द्वारा `2,68,098/ का अधिक आई0टी0सी0 का लाभ अनियमित तरीके से दिया गया।

(2) व्यौहारी सर्वश्री ज्वाला सेल्स कार्पोरेशन, काशीपुर (टिन नं–05006234409) का कर निर्धारण वर्ष 2013–14 के वाद में व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में `4,99,10,621/ के सीमेंट की खरीद प्रदर्शित करते हुए `66,37,934/ के आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया। जबकि व्यौहारी द्वारा `28,34,629/ के क्रेड़िट नोट को कम करते हुए शुद्ध खरीद `4,70,75,992/ की थी जिस पर 13.5 प्रतिशत की दर से `63,55,259/ की आई0टी0सी0 अनुमन्य थी। इस प्रकार व्यौहारी द्वारा `3,82,675/ के अधिक आई0टी0सी0 का अनियमित लाभ लिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दोनो ही प्रकरणो में नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतिक्षा रहेगी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 कर का अनारोपण `0.52 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार **वर्गीकृत** वस्तुओ की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरेपणीय होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) प्रथम वा0क0, काशीपुर, के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री आर0आर0 सेल्स कार्पोरेशन, काशीपुर (टिन नं–05002401842) कर निर्धारण वर्ष 2013–14 के **वाद** में व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में ` 10,35,785/ के चना क्रेकर (CHANA CRACKER) क्रय सूची के अनुसार बिक्री की गई (लाभ छोडकर) जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर मुक्ति प्रदान की गई। जबकि चना क्रेकर वास्तव में एक प्रकार की नमकीन थी जो अनुसूची II(B) के प्रविष्टी सं 109 से **आच्छादित** होने के कारण उस पर 5 प्रतिशत की दर से `51,789/ का कर आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जाचोपरांत कार्यवाही का **आश्वासन** दिया गया। जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतिक्षा रहेगी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 कर का न्यूनारोपण `31.69 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओं की बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से से कर आरोपणीय होगा।

पुनः **अनुसूची** II-B की प्रविष्टी सं0 115 के अनुसार Tractors, harvesters and attachment and parts there of पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) प्रथम वा0क0 काशीपुर के अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री चौधरी ऑटो मोबाइल्स काशीपुर, कर निर्धारण वर्ष 2013–14 के **वाद** में व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में ` 3,72,85,067/- के आयतित स्प्रिंग्स व ट्रैक्टर पार्ट्स की प्रांतीय बिक्री पर 05 प्रतिशत की दर से कर देययता स्वीकार की गई जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध क्रय सूची के लेखापरीक्षा अवलोकन में पाया गया कि व्यौहारी द्वारा प्रान्त **के** बाहर से LEAF SPRINGS TRACTORS AND MOTOR PARTS की खरीद की गई थी जिस पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।

इस प्रकार सन्दर्भित प्रकरण में 8.5 प्रतिशत की **अन्तरीय** दर से `31,69,231/ का अतिरिक्त कर आरोपणीय था।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्यों क आयातित वस्तुओं की क्रय सूची में Leaf Spring Tractor & Motor Part **दर्शाया गया है।** Tractor **की** Leaf Spring **पर कर देयता** 5% **है कन्तु मोटर वाहन की** Leaf Spring **पर कर देयता** 13.05% **है।**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण द्वारा बताया गया कि व्यौहारी द्वारा ट्रेक्टर पार्टस की बिक्री की गई थी जिस पर नियमानुसार कर आरोपित किया गया था।

प्रकरण विभाग के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया।

व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की ति थ	कर की धनरा श	आरोपणीय अर्थदण्ड
सर्वश्री जी.के.गलास हाउस, देहरादून टिनः 05000861385	2010-11	जुन-10 अक्टुबर-10 नवम्बर-10 दिसम्बर-10	07.08.10 29.11.10 31.12.10 29.01.10	23735/- 41435/- 53514/- 8963/-	2373.5/- 4143.5/- 5351.4/- 896.3/-
सर्वश्री ए.एण्ड एम मार्केटिंग स र्वस, देहरादून टिनः 05000798238	2012-13	अप्रैल-12 मई-12 जुन-12 जुलाई-12 अगस्त-12 सतम्बर-12 अक्टुबर-12 नवम्बर-12 दिसम्बर-12 जनवरी-13 फरवरी-13 मार्च-13	15.06.2012 11.07.2012 08.08.2012 17.10.2012 25.10.2012 20.11.2012 21.12.2012 24.01.2013 12.02.2013 18.03.2013 08.04.2013 20.05.2013	46400/- 48475/- 57542/- 51559/- 70282/- 51549/- 45203/- 60790/- 70170/- 40079/- 45369/- 70221/-	4640.0/- 4847.5/- 5754.2/- 5155.9/- 7028.2/- 5154.9/- 4520.3/- 6079.0/- 7017.0/- 4007.9/- 4536.9/- 7022.1/-
			योग	7,85,286/-	78,528.6/-

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	
शून्य			

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु ***कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–प्रथम वाणिज्य कर, काशीपुर*** तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री अर वन्द प्रताप संह	DC

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–प्रथम वाणिज्य कर, काशीपुर** को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र